कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित्
"वन धन भवन"
सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
E-mail: mfpfed.cg@nic.in ☎ (0771) 2513100 Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/ MFP 01/01 /स्था.-/2023/ नवा रायपुर, दिनांक /05/2023

// विस्तृत विज्ञापन //

1. छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक : 2914/1107/2020/10-1/वन दिनांक 30.09.2021 तथा पत्र क्रमांक : 2453/1107/2020/10-1/वन (पार्ट) दिनांक 05.08.2022 के द्वारा सहायक प्रबंधक (उपार्जन, प्रक्रिया, निर्माण एवं प्रबंधन) के 180 संविदा पदों की स्वीकृति तथा व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से भर्ती की अनुमति दी गयी है । उक्त संविदा पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित् में लागू "कर्मचारी, भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्तें नियम वर्ष 1994" में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी । इस हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट http://vyapam.cgstate.gov.in/ पर आमंत्रित किये जाते हैं ।
2. परीक्षा आयोजन हेतु कार्यक्रम ।
3. रिक्त पदों की वर्गवार संख्या एवं वेतनमान का विवरण ।

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	मासिक एकमुश्त संविदा वेतन
		अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि.व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि.व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि.व.			
1	सहायक प्रबंधक (उपार्जन)	42	12	32	14	12	03	09	04	04	01	03	01	07 (OL, HH)	**100**	35750/-
2	सहायक प्रबंधक (प्रक्रिया)	21	06	16	07	06	01	04	02	02	-	01	-	03 (OA, OL, HH)	**50**	35750/-
3	सहायक प्रबंधक (निर्माण)	06	02	05	02	01	-	01	-	-	-	-	-	01 (OA, OL, HH)	**15**	35750/-
4	सहायक प्रबंधक (प्रबंधन)	06	02	05	02	01	-	01	-	-	-	-	-	01 (OA, OL, OAL, BL, HH)	**15**	35750/-
	कुल योग														**180**	

4. **अनिवार्य अर्हतायें ।**

अ. सहायक प्रबंधक (उपार्जन)

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर/ हार्टीकल्चर/ फॉरेस्ट्री में स्नातक (बी.एस.सी.) अनारक्षित/अन्य पिछडा वर्ग हेतु 60% अंको एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 55% अंको के साथ उत्तीर्ण ।

ब. सहायक प्रबंधक (प्रक्रिया)

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक/बी.ई. । अनारक्षित/अन्य पिछडा वर्ग हेतु 60% अंको एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 55% अंको के साथ उत्तीर्ण ।

VYAPAM Manthan www.vyapammanthan.com

स. सहायक प्रबंधक (निर्माण)

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक/बी.ई. । अनारक्षित/अन्य पिछडा वर्ग हेतु 60% अंको एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु 55% अंको के साथ उत्तीर्ण ।

द. सहायक प्रबंधक (प्रबंधन)

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. । अनारक्षित/अन्य पिछडा वर्ग हेतु 60% अंको एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु 55% अंको के साथ उत्तीर्ण ।

5. **आयुसीमा** -

(अ) सहायक प्रबंधक (उपार्जन), सहायक प्रबंधक (प्रक्रिया), सहायक प्रबंधक (निर्माण) एवं सहायक प्रबंधक (प्रबंधन) के पद हेतु आवेदक की आयु 01.01.2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिये ।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के ज्ञापन क्र.-एफ3-2/2015/1-3 नया रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छ.ग. राज्य के मूल निवासियों को सीधी भर्ती के पदों में निर्धारित अधिकतम आयु 35 वर्षो में 5 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 01.01.2019 से 31.12.2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है ।

(ब) निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट मिलेगी :-

(i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट ।

(ii) अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट ।

(iii) महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट ।

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल/संघ के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी ।

(v) कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्तियों सहित ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये ।

VYAPAM Manthan www.vyapammanthan.com

(vi) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक या संघ का सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

(vii) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयुसीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(viii) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ix) शिक्षाकर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्षो की छूट होगी, जितने वर्ष उसने शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है । यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयुसीमा तक प्राप्त होगी । इसके लिये 06 माह से अधिक के लिये एक वर्ष सेवा मानी जावेगी ।

(x) संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थियों को उतने वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी, जितने वर्ष की उसने संविदा के रूप में सेवा की है । यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयुसीमा तक होगी ।

(महत्वपूर्ण टीप:- सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी । आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों से परीक्षण के दौरान 10वीं की मार्कशीट द्वारा की जावेगी। यदि आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।)

6. नियम शर्ते एवं प्रक्रिया :-

1. उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी । परीक्षा उपरांत मेरिट सूची जारी की जावेगी ।
2. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है । इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के पास सुरक्षित रहेगा ।
4. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । सत्यापन उपरांत ही संविदा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा ।
5. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिये उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद अग्रणीत नहीं किये जायेंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थी के चयन द्वारा भरे जायेंगें, जिस प्रवर्ग के लिये वह पद आरक्षित है ।
6. निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद के विरूद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे होरिजोण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा ।
7. ऐसे अभ्यर्थी निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों उसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
8. भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित रिक्ति के विरूद्ध उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने की स्थिति में ऐसे पद अग्रणीत नहीं किये जायेंगें, वरन उसी प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे जिस प्रवर्ग के लिये वह पद आरक्षित है, परंतु उस संवर्ग में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड, रायपुर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उसी संवर्ग के पुरूष/महिला उम्मीद्वार का चयन किया जाकर नियुक्ति की जायेगी ।
9. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से 01 का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
10. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
11. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगें ।
12. अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
13. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी ।

VYAPAM Manthan www.vyapammanthan.com

14. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं को रखता हो ।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के चयन की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा ।
16. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के कर्मचारी भर्ती वर्गीकरण एवं सेवा शर्ते नियम 8(पाँच) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर (संविदा नियुक्ति) नियम 2013, की कंडिका/नियम 4(1) एवं 11 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार चयनित अभ्यर्थी की :-
    (i) उपरोक्त पदों पर संविदा नियुक्ति प्रथम बार तीन वर्ष के लिये होगी, किन्तु संघ की आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ाते हुये संविदा नियुक्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा ।
    (ii) संविदा नियुक्ति की प्रथम 03 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिये पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा ।
    (iii) संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति, स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिये पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा ।
    (iv) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
    (v) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।
    (vi) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा, ताकि यदि तीन वर्ष बाद हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके ।
    (vii) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10% राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा P.P.F. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी, कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है ।
    (viii) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी ।
    (ix) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा, तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये अनुपातिक आधार पर की जायेगी ।

7. **महत्वपूर्ण टीप** :-

    1. विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, जिसके लिये कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
    2. विज्ञापित पदों पर भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा निरस्त की जा सकेगी । इसके लिये कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा ।

VYAPAM Manthan www.vyapammanthan.com

3. लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर/केन्द्र तक जाना होगा, इसके लिए यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा ।
4. उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.(सी) क्रमांक **19668/2022** के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा । विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाईन आवेदन, परीक्षा की तिथि, समय एवं केन्द्र तथा अन्य जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट **http://vyapam.cgstate.gov.in/** पर उपलब्ध है ।
5. पंजीकृत डाक एवं स्पीडपोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे ।

8. **परीक्षा निर्देश** - व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी परीक्षा विस्तृत निर्देश व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट **http://vyapam.cgstate.gov.in/** पर उपलब्ध है ।

कार्यकारी संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर

VYAPAM
Manthan
www.vyapammanthan.com

VYAPAM
Manthan
www.vyapammanthan.com